आयोजनेत्तर

संख्या- 2/1980/18-4-2013-11(बजट)/07

प्रेषक,

आर0ए0 सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 13 दिसम्बर,2013**

विषय: हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप के लिए प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या -678/18-4-2013-11(बजट)/07, दिनांक 16.05.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1,20,000=00 (रूपये एक करोड़ बीस लाख मात्र) के सापेक्ष अवशष धनराशि रू0 60,00,000=00 (रूपये साठ लाख मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2- उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि उपभोग पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

4- योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28.03.2013 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय - व्ययक में अनुदान संख्या-3 के लेखा शीर्षक -"2851-ग्राम तथा लघु अद्योग- आयोजनेत्तर -102- लघु उद्योग-18 हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप -42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28.03.2013 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- (1)/18-4-2013-11(बजट)/07, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1) सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी कानपुर नगर।
6- वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग'6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in